

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक: 15/02/2022

क्रमांक: 268/327/2022/38-1:- प्रदेश में संचालित शासकीय महाविद्यालयों के सुचारु संचालन हेतु प्राचार्य के रिक्त पदों पर वरिष्ठतम प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को प्रभार देने के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों/निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये निम्न व्यवस्था की जाती है:-

1. महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद रिक्त होने पर अथवा लम्बे अवकाश पर जाने पर उसी महाविद्यालय के वरिष्ठतम प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को प्राचार्य का प्रभार क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा दिया जाएगा।
2. यदि उसी महाविद्यालय में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक उपलब्ध नहीं होते हैं तो जिले के अंदर निकटस्थ महाविद्यालय के वरिष्ठतम प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को प्राचार्य का प्रभार क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा दिया जाएगा।
3. यदि वरिष्ठतम प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को किसी कारण से प्रभार दिया जाना संभव न हो तो अतिरिक्त संचालक द्वारा सकारण प्रस्ताव बनाकर आयुक्त, उच्च शिक्षा को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राचार्य का प्रभार आयुक्त उच्च शिक्षा के अनुमोदन से दिया जाएगा।
4. शासन द्वारा किसी भी समय किसी भी महाविद्यालय में प्राचार्य की पदस्थापना/पदभार देने की कार्यवाही की जा सकेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।


14.02.22
(संघमित्रा गौतम)


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक: 15/02/2022

पृ क्रमांक: 269 /327/2022/38-1
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल,
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल,

//2//

4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.,
5. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, म.प्र.,
6. प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, म.प्र.,


14.02.22

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग